


पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अपना एवं सहकारक शैलाल एवं राजराम का शपथपत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी एवं परोकार राज को सुना गया। बहस पर मनन काने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रस्ताव स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तुरंत तकमिल होकर शामिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर लुलै न्यायालय में सुनाया गया।


(सुनील कुमार चौहान)
R.A.S.

सुनील कुमार चौहान